

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,प्रधान कार्यालय,लखनऊ।  
परिपत्र सं०सी- १०३ / तक०प्रको०/विविध/ १८-१९ दिनॉक- १८-५-१८

समस्त शाखा प्रबन्धक,  
उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,  
उत्तर प्रदेश।

विषय :- बैंक द्वारा कियान्वित नवीन योजनाओं में ऋण वितरण की प्रगति के सम्बन्ध में।

आपको विदित ही होगा कि बैंक द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवीन योजनाये लागू की गई है जैसे ड्रिप स्प्रिकलर सिचाई योजना (परिपत्र सं० सी-१४/दि० 26.04.17), औषधीय फसल योजना (परिपत्र सं० सी-१८/दि० 03.05.17), औद्यानिक योजनान्तर्गत ऋण वितरण प्रक्रिया (परिपत्र सं० सी-१९/दि० 04.05.17) तथा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनान्तर्गत परिवहन के क्षेत्र में एस.आर.डब्लू.टी.ओ. योजनान्तर्गत ई रिवशा हेतु योजना (परिपत्र सं० सी-१००/दि० 27.03.18) आदि।

उक्त संदर्भित योजनाओं में ऋण वितरण करने के निर्देश दिये गये हैं परन्तु अद्यतन ऋण वितरण की प्रगति की कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हो पायी हैं जिससे योजनाओं के कियान्वयन की उपयोगिता का आकलन नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त आपकी शाखा क्षेत्र में यदि कोई अन्य योजना/योजनाये उपयोगी प्रतीत हो रही रही है जिनमें ऋण वितरण की सम्भावनायें प्रबल हो, को सम्बन्ध में भी प्रधान कार्यालय को अवगत कराया जाय ताकि वाचिंत योजना का परीक्षण कर शीघ्र ही लागू करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त नवीन योजनाओं में ऋण वितरण की प्रगति तथा शाखा क्षेत्र में सम्भावित उपयोगी योजनाओं के प्रस्ताव शीघ्र ही प्रधान कार्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे एवं बैंक द्वारा संचालित की गयी नयी योजनाओं में आवश्यकतासुसार ऋण वितरण करे।

(के०पी०सिंह)

प्रबन्ध निदेशक


३

प्रतिलिपि-निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

१ समस्त जनपदीय प्रबन्धक, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

२ समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय-लखनऊ।

३ उप महाप्रबन्धक (कम्यूटर) उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रको०लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को समस्त जनपदीय शाखाओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

  
(अजय पाल सिंह)  
महाप्रबन्धक (तकनीकी)

२